

## कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां द्वारा जिला/वनमण्डल बारां में के हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य में 286.50 है। वनभूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव ऑनलाइन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/Irrig/27263/2016 पर दिनांक 21.07.2017 को रजिस्टर किया गया है। प्रस्ताव को परीक्षण करने पर दिनांक 07.09.2017 को कुछ आक्षेप लगाये गये है उनका बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार है।

| क्र.सं. | आक्षेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आक्षेप का जवाब                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | प्रस्ताव के फार्म-ए के पार्ट 1 A-3 (XVII) में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं किये गये हैं। जो प्रस्तावित हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हस्ताक्षर प्रमाणित कर संलग्न कर दिये गये है                                                                                                                     |
| 2.      | प्रस्ताव के फार्म-ए के पार्ट 1 B-1 में यूजर एजेन्सी द्वारा वन संरक्षक अधिनियम 1980 में प्रेषित पुराने स्वीकृत/अस्वीकृत/प्रक्रियाधीन प्रस्तावों की सूचना नहीं दी गई है। जो प्रस्तावित हैं।                                                                                                                                                                                                                                                      | सूचना संलग्न कर दी गई है।                                                                                                                                       |
| 3.      | प्रस्ताव के फार्म-ए के पार्ट 1 B-2.4 में कम्पोनेट के अनुसार (डेमलाईन, सबमर्जन्स, एप्रोच रोड, नहर आदि) के अनुसार विवरण नहीं दिया गया है। जो प्रस्तावित हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सूचना सही कर दी गई है।                                                                                                                                          |
| 4.      | प्रस्ताव के फार्म-ए के पार्ट 1 C-(ii) में संलग्न KML file polygon shape में निम्नांकित कमियां हैं।<br>i. KML file polygon shape में कम्पोनेट अनुसार दी जानी प्रस्तावित हैं।<br>ii. प्रस्तुत KML file polygon shape में polygon का क्षेत्र 275.6639 है0 हैं जबकि 286.5 है0 का क्षेत्र प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन किया गया है। सशोधन किया जाना प्रस्तावित हैं।<br>iii. वन भूमि का सीमांकन, प्रस्ताव के महत्वपूर्ण विवरणों दिया जाना प्रस्तावित हैं। | संशोधित KML file संलग्न कर दी गई है।                                                                                                                            |
| 5.      | प्रस्ताव के फार्म-ए के पार्ट 1-C (iii) में संलग्न GT sheet 1:50000 में GT sheet के नम्बर नहीं हैं इसके अलावा बिन्दु संख्या 2 के अनुसार पुनः अपलोड किया जाना प्रस्तावित हैं। इसमें शीर्षक, तालिका एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर किये जाने प्रस्तावित हैं।                                                                                                                                                                                     | GT sheet पुनः अपलोड कर दी गई है।                                                                                                                                |
| 6.      | प्रस्ताव के फार्म-ए के पार्ट 1 C के IV में संलग्न DGPS मानचित्र में बिन्दु संख्या 4 के अनुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित हैं।<br>प्रस्तावित वन भूमि के सभी कानर्स के अक्षांश देशान्तर नम्बर एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर लगाकर संशोधित DGPS मानचित्र संलग्न कर दिया गया है।                                                                                                                                                                | DGPS मानचित्र में प्रस्तावित वन भूमि के सभी कानर्स के अक्षांश देशान्तर नम्बर एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर लगाकर संशोधित DGPS मानचित्र संलग्न कर दिया गया है। |
| 7.      | प्रस्ताव के फार्म-ए के पार्ट 1 D (i) में कोई सूचना संलग्न नहीं की गई है।<br>इसमें प्रस्ताव की औचित्यता का प्रमाण-पत्र एवं विभिन्न विकल्पों पर किये गये कार्य का विवरण अंकित किया जाना प्रस्तावित हैं। इसके अलावा                                                                                                                                                                                                                               | सूचना सही कर दी गई है।                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     | डेम की ऊंचाई को 1-1 मीटर (थ्री डी मॉडल में) कम करते हुये प्रभावित वन क्षेत्र की गणना दिया जाना प्रस्तावित हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 8.  | प्रस्ताव के फार्म-ए के पार्ट 1 G में यूजर एजेन्सी द्वारा कोई सूचना संलग्न नहीं की गई हैं। इस प्रस्ताव में लागत लाभ का विवरण एम.ओ.ई.एफ. के निर्धारित प्रपत्र में दिया जाना प्रस्तावित हैं।                                                                                                                                                                                                                                  | सूचना सही कर दी गई हैं।            |
| 9.  | प्रस्ताव के फार्म-ए के पार्ट 1 H में पर्यावरण स्वीकृति (यदि लागू है तो ) संलग्न की जानी प्रस्तावित हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक नहीं हैं। |
| 10. | प्रस्ताव के फार्म-ए के पार्ट 1 K में यूजर एजेन्सी द्वारा कोई सूचना संलग्न नहीं की गई हैं। इसमें प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार कार्यवाही संपादित करा जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र मय संलग्नक किया जाना प्रस्तावित हैं। निर्धारित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट WW.forest.rajasthan.gov.in- departmental wings- forest conservation-orders & circulars पर उपलब्ध हैं। | सूचना संलग्न कर दी गई हैं।         |
| 11. | प्रस्ताव के फार्म-ए के पार्ट 1 L में Compensatory afforestation में प्रत्यावर्तन के बदले प्राप्त होने वाली भूमि का DGPS MAP, KML File GT Sheet & Revenue details संलग्न की जानी प्रस्तावित हैं।                                                                                                                                                                                                                            | सूचना संलग्न कर दी गई हैं।         |
| 12. | प्रस्ताव के फार्म-ए के पार्ट 1 M में CAT Plan संलग्न नहीं किया गया हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सूचना संलग्न कर दी गई हैं।         |
| 13. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त सूचनाओं में निम्न सूचना दिया जाना अपेक्षित हैं।<br>I. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति<br>II. एरिया केलकुलेशन शीट (खसरावार/ग्रामवार)<br>III. बार चार्ट।<br>IV. प्रोजेक्ट डिटेल्स<br>V. खसरा मेप पर प्रस्ताव का अंकन।                                                                                                                                                                        | सभी सूचनाएं दे दी गई हैं।          |

(एम0 के0 गोयल)  
अधिशायी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां